



75  
आजादी का  
अमृत महोत्सव

भारत सरकार  
Government of India  
खान मंत्रालय  
Ministry of Mines  
भारतीय खान ब्यूरो  
Indian Bureau of Mines

पंजीकृत पावती  
उल्लंघन पत्र  
माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र  
Makhupura Industrial Area  
अजमेर-305 002 (राजस्थान)  
Ajmer- 305 002 (Rajasthan)  
Email-ro.ajmer@ibm.gov.in

Mine Code: 40RAJ03001

संख्या : RAJ/BNSW/MANGANESE-01

दिनांक : 06.09.2022

प्रेषित : मेसर्स एशियन माइनिंग एसोसिएट्स,  
सर्वे नंबर 536, पावागढ़ रोड,  
नेशनल वे ब्रिज के पास,  
हलोल-389 350 (गुजरात)

Email-mmp11@yahoo.in, amamnore@gmail.com

विषय : Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your **Kalakhunta Manganese Ore Mine** (M.L. No. 04/2004, Lease area 18.898 Hect.) in Banswara District of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 27.07.2022 by the undersigned in presence of Sh. Hitesh Rajgor, Owner's Representative & Sh. Akshay Nathani, Mine Manager:

Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Review of Mining Plan (Approved on 19.04.2021): - (i) During the year 2021-22 exploration was proposed by drilling of 27 bore holes (997m) but only 7 bore holes(116m) exploration drilling has been carried out in the year. (ii) During the year 2021-22, total 150m garland drain proposed whereas actual 50m garland drain reported. (iii) During the year 2021-22, total 90 sapling planted against the proposal of 100 nos. of saplings.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत :

- (क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।  
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।  
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय  
का.प.  
06/09/2022  
( डी. आर. गुजर )

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ई मेल द्वारा) ।
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर, राजस्थान ।
- 3 खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, बाँसवाड़ा ।
- 4 रक्षित पत्रावली ।

का.प.

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो